RJPP, Vol. XXI, No.II, Apr.23-Sep.23, ISSN (P) : 0976-3635, (e) :2454-3411, Impact Factor 8.858

अनुच्छेद 370 का निरसन नई दिशा–नये आयाम

डॉ० दीपक कुमार

पोस्ट डॉक्टरेट

राजनीति विज्ञान विभाग

कु० मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर (उ०प्र०)

ईमेलः drdeepakverma100@gmail.com

सारांश

जम्मू–कश्मीर से धारा 370 को खत्म हुए लगभग चार साल पूरे होने वाले है आज से चार साल पहले केंद्र सरकार ने जम्मू–कश्मीर को खास दर्जा देने वाले धारा 370 को खत्म कर दिया था. इन चार सालों में वहां कई सारे बदलाव हो गए हैं। केंद्र के कानून और कई सारी योजनाओं को वहां लागू कर दिया गया है, आतंकी घटनाओं में भी कमी आई है, इसके अलावा चार साल में हजारों लोगों को पब्लिक सेक्टर व सरकारी क्षेत्र में नौकरी भी दी गई है इसके अलावा राज्य के लगभग सभी क्षेत्रों में विकास परिलक्षित होता है अनुच्छेद 370 हटाना केन्द्र सरकार का सही फैसला प्रतीत होता है जिसकी वजह से राज्य विकास के पथ पर निकल चुका है।

मुख्य बिन्दु

अनुच्छेद–370, जम्मू–कश्मीर, संविधान।

Reference to this paper should be made as follows:

Received: 23.08.2023
Approved: 24.09.2023

डॉ० दीपक कुमार

अनुच्छेद 370 का निरसन नई दिशा–नये आयाम

RJPP Apr.23-Sep.23, Vol. XXI, No. II,

PP. 225-232
Article No. 31

Online available at:
https://anubooks.com/journal/rjpp

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, जो जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है। यह अनुच्छेद इस अर्थ में अस्थायी है कि जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा को इसे संशोधित करने, हटाने या बनाए रखने का अधिकार था, और इसे केवल तब तक अस्थायी माना गया जब तक कि जनता की इच्छा का पता लगाने के लिए जनमत संग्रह न हो जाए हालाँकि, हाल के दिनों में इस अनुच्छेद की अस्थायी स्थिति के संबंध में एक बडी बहस हुई है। कई मौकों पर सरकार और न्यायपालिका ने इसे स्थायी प्रावधान होने का दावा किया है।

जम्मू–कश्मीर राज्य को स्वायत्तता संविधान के अनुच्छेद 370 द्वारा दी गई है। इस अनुच्छेद का अस्थायी प्रावधान संविधान के भाग XXI से "संक्रमणकालीन, अस्थायी और विशेष प्रावधान" शीर्षक के तहत लिया गया है जो जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है। और 5 अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर की इस विशेष स्थिति को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया गया, अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया, जो इस क्षेत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण बदलाव था। पाकिस्तान और चीन को छोडकर अधिकांश राष्ट्र कश्मीर में भारत की गतिविधियों की खुलकर आलोचना करने से दूर ही रहे हैं और भारत की गतिविधियों के प्रति कम वैश्विक प्रतिक्रिया ज्यादातर घाटी में मानवीय स्थिति पर केंद्रित थी। जम्मू–कश्मीर को भारतीय संविधान के आवेदन से छूट दी गई थी और अनुच्छेद 370 के आधार पर अपना संविधान बनाने की अनुमति दी गई थी इसने जम्मू–कश्मीर पर संसद के विधायी अधिकार को सीमित कर दिया। विलय के साधन (इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन) के अंतर्गत आने वाले विषयों के लिए एक केंद्रीय कानून का विस्तार करने के लिए राज्य सरकार को केवल 'परामर्श' करना था हालांकि, इसे अतिरिक्त मुद्दों पर विस्तारित करने के लिए राज्य सरकार की सहमति आवश्यक है। जब 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया, तो आई.ओ.ए. लागू हुआ।

अनुच्छेद 370 की मुख्य विशेषताएं

- जम्मू और कश्मीर राज्य का अपना अलग झंडा और संविधान है।
- राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता, केवल राज्यपाल शासन की घोषणा की जा सकती है। भारत सरकार राज्य में अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकती है। केवल बाहरी आक्रमण या युद्ध के मामलों में ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है।
- राज्य की अपनी आपराधिक संहिता है जिसका शीर्षक रणबीर दंड संहिता है।
- राज्य के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता है।
- अन्य भारतीय राज्य के विधायकों का कार्यकाल 5 वर्ष है, जबकि कश्मीर के लिए यह 6 वर्ष था।

भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन सरकार ने 5 अगस्त को संविधान के अनुच्छेद 370 को लागू करने का अधिकार खत्म कर दिया, राज्य को अब दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, इसमें से एक लद्दाख होगा, जिसके पास अपनी विधानसभा नहीं होगी. दूसरा, जम्मू–कश्मीर होगा, जिसके पास अपनी विधायिका होगी। निश्चित ही इस फैसले का दूरगामी असर भी होगा।

5 अगस्त 2019 को जम्मू–कश्मीर को संविधान में अनुच्छेद 370 और 35A द्वारा दिए गए विशेष दर्जे को संसद ने हटाने के लिए मंजूरी दी, तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे 'ऐतिहासिक भूल' को ठीक करने वाला एक क्रांतिकारी कदम बताया था। ऐसा कहने के पीछे उनका तर्क था, *"जब ऐतिहासिक रूप से केंद्रीय धन का अधिकतम हिस्सा जम्मू–कश्मीर को दिया गया, उसके बाद भी यह बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, रोजगार के अवसर आदि जैसे विकास के कार्यों में क्यों नहीं परिलक्षित हुआ है?"* अपने तर्क में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि *"राज्य देश के अन्य राज्यों की तरह विकसित क्यों नहीं हो पाया है? राजनीतिक फायदे के लिये युवा वर्ग का उपयोग किया जा रहा है और राज्य के युवाओं की उपेक्षा करते हुए मुट्ठी भर अभिजात वर्ग इन निधियों से व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करता रहा. लिंग, वर्ग, जाति और मूल स्थान के आधार पर अनुच्छेद 370 के प्रावधान भेदभावपूर्ण है. और अनुच्छेद 370 से जम्मू, कश्मीर, लद्दाख और विशेषकर घाटी को क्या–क्या नुकसान हुए हैं, इस बात की किसी ने परवाह नहीं की"।*

ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि अब बीते चार सालों में जम्मू–कश्मीर और लद्दाख में कितने बदलाव आया है? जनजीवन कितना सुगम हुआ है? चाहे युवाओं के लिए अवसर की बात हो, महिला सशक्तिकरण हो, अनुसूचित जाति–जनजाति–शोषितों–वंचितों–पीड़ितों के कल्याण का लक्ष्य हो या फिर लोगों के बुनियादी और संवैधानिक अधिकार की बात हो। आम जन की भलाई के लिए सरकार हरसंभव फैसले ले रही है, बीते चार साल में जनहित से जुड़े केंद्रीय कानूनों को दोनों केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया गया, ताकि लोगों को इसका लाभ मिले और सूबे की प्रगति तेज हो, बच्चों, कमजोर तबकों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कानून को मजबूती मिली तो सुशासन के लिए जरूरी कानूनों को आवश्यक और प्रभावी बनाया गया, ताकि प्रशासन जवाबदेह बने। आखिरी छोर तक लोकतंत्र को मजबूती देने वाले 73वें और 74वें संविधान संशोधन अब पूरी तरह से राज्य में लागू हो चुके हैं जिससे पंचायतों और स्थानीय निकायों को सशक्त किया गया है। जम्मू–कश्मीर और लद्दाख अब नई राह पर है. जिसके कुछ उदाहरण अलग–अलग बिंदुओं में नीचे दिये जा रहे है–

- **स्वास्थ्य सेवाओं मे सुधार–विस्तार**

  जम्मू–कश्मीर देश का एकमात्र राज्य है, जहां सभी नागरिकों को 'आयुष्मान योजना–सेहत' के तहत 5 लाख रु. के मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है. 7500 करोड़ रु. की लागत से सूबे में 2 एम्स, 7 मेडिकल कॉलेज, 5 नर्सिंग कॉलेज, 2 स्टेट कैंसर संस्थान बनाने की शुरुआत हो चुकी है. स्वास्थ्य ढांचा बनाने के लिए दवाई नीति, स्वास्थ्य निवेश नीति और नशा मुक्ति की नीति को मंजूरी दी जा चुकी है. मेडिकल शिक्षा के लिए 1615 सीटें नई जोड़ी गई है। एमबीबीएस सीट की संख्या 500 से बढ़कर 1150 की गई है और अन्य जुड़े पाठ्यक्रम में भी सीटें बढ़ी है। 881 करोड़ रु. की लागत से पहले से मौजूद स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जा रहा है जो बहुत जल्द पूरी होगी।

- **विश्वास बहाली के साथ विकास**

  जब किसी क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करना होता है तो सर्वप्रथम वहां की जनता को विश्वास मे लेना होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सोच को उपराज्यपाल के द्वारा लगातार आगे

बढ़ाया जा रहा है। 'बैक टू विलेज' 'मुलाकात' योजना के जरिए आम लोगों से फीडबैक लेना, पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाना इसमें बेहद कारगर साबित हुआ है। जम्मू–कश्मीर–लद्दाख के इतिहास में पहली बार ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में 97 फीसदी से अधिक वोटिंग इसका सशक्त परिचायक है।

जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को अपनाकर लोगों की आकांक्षाओं को नया अवसर दिया जा रहा है, ताकि जम्मू–कश्मीर और लद्दाख की महान विरासत को सशक्त किया जा सके, महिलाओं और बच्चों को अधिकार वापस मिले हैं जो पूर्व मे राज्य से बाहर शादी करने पर छिन जाते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी नए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कदम तेजी से आगे बढ रहे हैं। बीते दो साल में इसको लेकर काफी तेजी आई है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण हाइड्रोपावर है। सात दशकों में जम्मू कश्मीर में 3.5 हजार मेगावॉट बिजली की क्षमता तैयार हुई थी। लेकिन अब इसमें 3 हजार मेगावाट की क्षमता और जोड़ी जा चुकी है, जो परियोजनाऐं लंबे समय से अटकी थी उनमें तेजी आई है तो चिनाब नदी पर बन रहे दुनिया के सबसे ऊंचे और बेहतरीन रेलवे ब्रिज हर भारतीय को गौरवान्वित कर रहा है। किसी भी राष्ट्र में कनेक्टिविटी जब बेहतर होती है, तो इससे पर्यटन और उद्योग दोनों को बल मिलता है। कालीन से लेकर केसर तक, सेब से लेकर बासमती तक जम्मू कश्मीर की महक पूरे देश में फैल रही है।

- **दशकों बाद बदल रही फिज़ा**

  अनुच्छेद 370 की समाप्ति के पश्चात नए युग का आरंभ हुआ तो नए जम्मू–कश्मीर की फिज़ा भी बदलने लगी है और दशकों से वंचित लोगों को हक मिलने लगा विकास की गति बदली है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री विकास पैकेज से जहां जून 2018 तक सिर्फ 26 फीसदी खर्च हुए थे, वहां जून 2022 में 72 फीसदी खर्च हुआ, जो निश्चित रूप से सिर्फ बदलाव ही नहीं विकास की गति को भी दिखाता है, पहली बार जम्मू कश्मीर के गरीब सामान्य वर्ग, पहाडी लोगों, नियंत्रण रेखा के निकट सीमा पर रहने वाले लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिला है। अनुसूचित जनजातियों, गुज्जर बकरवाल और पारंपरिक रूप से जंगलों के आस–पास रहने वालों को जंगल की जमीन के इस्तेमाल का कानूनी अधिकार मिला है, अब किसी के साथ भी भेदभाव की गुंजाइश नहीं है. जो लोग दशकों से जम्मू कश्मीर में रह रहे थे उन को स्थायी निवासी प्रमाण पत्र भी दिए जा रहे हैं।

- **आतंक मुक्त और विकास युक्त कश्मीर**

  आज देश के शेष हिस्से के साथ जम्मू–कश्मीर और लद्दाख को जोड़ना संभव हुआ है। दशकों तक यह क्षेत्र बमों, बंदूकों, आतंक तथा अलगाववाद से छलनी रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं की वजह से दोनों केंद्रशासित प्रदेशों में विकास की गति तेज हुई है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद, अलगाववादियों का जनाधार खत्म होता जा रहा है. वर्ष 2019 में 70 और 2020 में 6 हुर्रियत नेता हिरासत में लिए गए, अलगाववादियों के 80 बैंक खातों में लेनदेन पर रोक लगा दी गई है, 18 हुर्रियत नेताओं से सरकारी खर्चे पर मिलने वाली सुरक्षा वापस ली गई। 2019 में 157 और 2020 में 221 आतंकियों का खात्मा किया। हिंसा की घटनाओं में 61 फीसदी की कमी, पत्थरबाजी की घटना अब न के बराबर

हो रही है। 25 जुलाई 2023 को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद ने लोकसभा मे बताया कि जून 2023 तक कोई भी आतंकी जम्मू कश्मीर मे घुसपैठ नही कर सका, जबकि 2022 मे 14 आतंकवादी कश्मीर मे दाखिल हुए थे, उन्होने बताया कि भारत सरकार ने एक समन्वित और बहुआयामी रणनीति अपनाई है जिससे इस क्षेत्र मे आतंकवाद को रोका जा सके और इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आये है।

- **एक देश, एक निशान, एक बाजार, एक संविधान**

  अब पूरे देश के लिए एक ही संविधान है। सभी 890 केंद्रीय कानून अब जम्मू–कश्मीर–लद्दाख में लागू हो चुके हैं और काफी समय से चल रहे अन्याय–भेदभावपूर्ण 206 कानून निरस्त कर दिये गये हैं अब केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कर्मचारियों के हितों की रक्षा कर रहा है तो बेहतर निरीक्षण के साथ प्रशासन और जवाबदेही के लिए केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग काम कर रहा है। सभी भेदभावपूर्ण और अन्यायपूर्ण राज्य कानूनों को निरस्त या संशोधित किया गया है। एससी–एसटी, वनवासियों, किशोर और वृद्धों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून लागू किए गए हैं।

भारत के नागरिक के रूप में यहां के लोगों को अब समान अधिकार मिल गए हैं। शिक्षा का अधिकार, जम्मू–कश्मीर में लागू भूमि के लिए उचित मुआवजे का अधिकार जैसे कानून से सही मायने में यहां लोकतंत्र की स्थापना हुई है, लोगों के हित की रक्षा के लिए डोमिसाइल कानून लागू किया गया और सभी पूर्व स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट के पात्र हैं।

- **रोजगार में कमजोर तबको को आरक्षण**

  राज्य में आरक्षण के प्रावधानों में बदलाव कर दायरा बढ़ाया गया है, पहाड़ी बोलने वालों को 4 प्रतिशत पहाड़ी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत, अन्य सामाजिक वर्ग का दायरा 2 से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया गया है और सीमा पर नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले लोगों को आरक्षण दायरा 3 से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया गया। अब तक 42 लाख से अधिक स्थायी निवासी प्रमाण पत्र जारी किये गये है इनमें करीब 56 हजार पश्चिमी पाकिस्तान से विस्थापित शरणार्थी, 2755 वाल्मिकी, 780 गोरखा शामिल हैं। करीब 8 लाख पहाड़ी लोगों को आरक्षण का लाभ मिला है। करीब 43 हजार परिवार जो 1947 में पाक अधिकृत कश्मीर से, 1965, 1971 में विस्थापित हुए उन्हें 5.50 लाख रु. की वित्तीय सहायता दी गई। करीब 7 हजार परिवारों को जो पश्चिमी पाकिस्तान से खदेड़े गए वे भी 5.50 लाख रु. की वित्तीय सहायता के साथ स्थायी प्रमाण पत्र के लिए पात्र बने, नौकरियों के साथ अन्य लाभ के द्वार भी खुले, 3 लाख लोग जो सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं उनके लिए पुलिस में विशेष भर्ती अभियान चलाया जा रहा है, करीब 44 हजार कश्मीरी विस्थापित परिवारों को नौकरी, शिक्षा और अन्य लाभ की पात्रता मिली है।

- **राष्ट्र से कश्मीर की बेहतर कनेक्टिविटी**

  करीब 1328 करोड़ रु. की लागत से दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेलवे ब्रिज 2022 मे बनकर तैयार हो गया है उधमपुर–श्रीनगर–बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत बन रहे चिनाब ब्रिज

की ऊंचाई एफिल टावर और कुतुबमीनार से अधिक है, 359 मीटर ऊंचे इस ब्रिज के आर्क बनाने का काम पूरा हो चुका है। जम्मू–श्रीनगर–लद्दाख राष्ट्रीय राजमार्ग में 3129 करोड़ रु. की लागत से बने करीब 8 किमी से अधिक लंबे ट्विन ट्यूब वाले काजीगुंड–बनिहाल टनल का काम भी पूरा हो चुका है और कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाले रास्ते में सोनमर्ग–गगनगिर के बीच 2390 करोड़ रु. की लागत से 6.5 किमी लंबी जेड मोड़ टनल का काम युद्ध स्तर पर कार्य कर पूरा कर दिया गया है और यह टनल अप्रैल 2023 को शुरू भी हो चुकी है 10 हजार करोड़ रु. से अधिक की लागत से जम्मू और कश्मीर में लाइट मेट्रो रेल ट्रांजिट एलिवेटेड कॉरीडोर की योजना मार्च 2025 तक पूरी होगी।

- **शिक्षा के नये रास्ते**

  जम्मू–कश्मीर और लद्दाख मे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अमल में लाने के लिए टास्क फोर्स गठित की गई है और अप्रैल 2022 से इसको लागू कर दिया गया है 70 साल में पहली बार राज्य में 20 हजार अतिरिक्त सीटों के साथ 50 नए कॉलेज शुरु हो रहे हैं. पहली बार छात्रों के लिए स्वास्थ्य कार्ड योजना लांच हुई, 11 लाख कार्ड जारी किए जा चुके हैं, 38 हजार शिक्षकों को नियमित किया गया और पारदर्शी स्थानांतरण नीति अपनाई गई, 4 हजार से अधिक स्कूलों को सोलर पावर से लैस किया गया और 608 वोकेशनल लैब स्थापित हुए. पहली से पांचवीं कक्षा तक की पुस्तकों का डोगरी, हिंदी, कश्मीरी और ऊर्दू में अनुवाद किया गया है।

- **मिशन युवा जम्मू–कश्मीर**

  प्रथम बार इस तरह की शुरुआत, बहुस्तरीय रणनीति के साथ हुई है ताकि युवाओं को कौशल विकास, आजीविका, वित्तीय सहायता, शिक्षा, सहजता से मिले, 4500 यूथ क्लब की स्थापना इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हो रही है, युवाओं के लिए इस साल 8 गतिविधियां योजना शुरू होंगी, इनमें यूथ डाटा बैंक नाम से शिक्षा–कौशल में पंजीकरण के लिए पोर्टल, मुमकिन नाम से 250 वाहन पात्र युवाओं को ताकि परिवहन क्षेत्र में आजीविका के लिए तैयार हो सके। तेजस्विनी नाम से 200 महिलाओं को सुविधा दी गयी, परवाज नाम से कोचिंग के लिए इच्छुकों का पंजीकरण शुरू किया गया, एलजी–75 नाम से 75 छात्राओं को उपराज्यपाल छात्रवृत्ति की शुरूआत की गयी, विश्वविद्यालय के साथ सहयोग के तहत 15 प्रोजेक्ट को पुरस्कृत करने के लिए चयन किया जाएगा, 7 लाख से अधिक युवा विभिन्न खेल गतिविधियों में हिस्सा लेकर आगे के लिए तैयार हो रहे हैं।

खेल के लिए 135 परियोजनाओं पर काम हो रहा है, खेलो इंडिया स्कीम के तहत एथलीट ट्रैक, इंडोर स्पोर्टस हॉकी टर्फ, हॉल आदि बनाए जा रहे हैं, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए अब तक का सबसे बड़ा भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। करीब 18 हजार पोस्ट के लिए एसएसबी ने विज्ञापन जारी किया।

- **हौसलों की उड़ान**

  नवम्बर 2021 को 'हौसला' नाम से पहल की गई ताकि राज्य की महिला उद्यमियों के सपनों को ऊंची उड़ान का मौका मिले, इसके जरिए वित्तीय सहायता तक पहुंच, नीतिगत

प्रोत्साहन, बैंकों से जोड़ना, मिशन यूथ के तहत सहायता, ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ना, चुनिंदा महिला उद्यमियों को प्रदर्शनियों में स्टाल उपलब्ध कराना है, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 4.5 लाख से अधिक महिलाओं को 47 हजार स्वयंसहायता समूहों से जोड़ा गया, इन समूहों को 916 करोड़ रु. से अधिक की पूंजी सुविधा उपलब्ध कराई गई।

- **कृषि और पर्यटन का विकास**

नए कृषि सुधारों ने जम्मू–कश्मीर में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए नए अवसर बना दिए हैं। इससे हजारों लोगों को, रोजगार और स्वरोजगार का अवसर मिल रहा है। जम्मू–कश्मीर–लद्दाख में जहां एक तरफ हजारों सरकारी नौकरियां विज्ञापित की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ स्वरोजगार के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं, बैंकों के जरिए अब जम्मू कश्मीर के नौजवान कारोबारियों को आसानी से लोन मिलना शुरु हुआ है। सेब के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लागू की गई है, डीबीटी द्वारा भुगतान और केंद्रीय खरीद एजेंसी द्वारा परिवहन से इसकी कीमत स्थिर हुई है। खरीदने वाली एजेंसी सेब के परिवहन खुद कराएगी, राज्य में सेब की 8 हजार करोड़ रु. से अधिक की आर्थिक गतिविधि होती है और प्रत्यक्ष रूप से लगभग 30 लाख इससे जुड़े हैं।

पर्यटन उद्योग फिर से चमक रहा है, जम्मू–कश्मीर और लद्दाख में उन जगहों की पहचान की जा रही है, जो टॉप के टूरिज्म डेस्टिनेशन बन सकते हैं, हिमालय की 137 पर्वत चोटियां विदेशी पर्यटकों के लिए खोली गई हैं, जिनमें 18 चोटियां जम्मू–कश्मीर और लद्दाख की हैं। लद्दाख में बौद्ध अध्ययन केंद्र के साथ पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय की योजना को आकार दिया जा रहा है जिससे लद्दाख प्रगति की राह पर है, उद्योग, पर्यटन, वित्त और पुलिस विभाग में संरचनात्मक सुधार किए गए और पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

- **सुशासन के लिए सुधार**

ई–ऑफिस को बढ़ावा देने के लिए व शासन को पूरी तरह से पेपरलेस करने की मुहिम शुरू की गई है, अब ई–फाइल्स और ई–ऑफिस की पहल होने से करीब 550 करोड़ रु. की बचत होगी, इससे सरकारी ऑफिस अब जम्मू–श्रीनगर दोनों जगहों पर सामान्य रूप से काम करेंगे। डिजिटल विलेज सेंटर की पहल की गयी है, इसमें गांवों में सार्वजनिक स्थान पर वाई–फाई की सुविधा उपलब्ध कराना है, शिकायत के समाधान के लिए निगरानी तंत्र की स्थापना– JKIGRAMS हुई। सितंबर 2020 में शुरू की गई इस पहल से अब तक 85 हजार से अधिक शिकायतें दर्ज हुई, इस तंत्र के जरिए समाधान की दर 92 फीसदी है। बीते 8 महीनों में यह दर 52 से बढ़कर 92 फीसदी तक पहुंची है।

निष्कर्ष

अनुच्छेद 370 शुरू से ही राष्ट्रीय बहस का मुद्दा रहा है देश का एक वर्ग इसे जम्मू–कश्मीर के लोगों को भारत से जोडने वाली कड़ी मानता रहा है राज्य में पिछले तीन–चार दशकों से जिस तरह के हालात बने हुए थे, उसे देखते हुए यह जरूरी भी हो गया था कि अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया जाए, निश्चित तौर से अनुच्छेद 370 से आजादी के बाद जम्मू–कश्मीर और लद्दाख नई

इबारत लिखने को तैयार है, जम्मू–कश्मीर और लद्दाख अब एक नई सुबह, एक बेहतर कल के लिए तैयार है।

अनुच्छेद 370 हटने से ना सिर्फ आंकडों में सुधार हुआ है, आम कश्मीरियों ने देश को अपने और करीब पाया है और इस बात को पूरी दुनिया ने तब देखा जब आम कश्मीरी लोगों ने पंचायत चुनाव में बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया और बताया कि वो बुलेट नहीं बैलेट के जरिए अपना भविष्य खुद तय करना चाहता है। चार वर्ष पहले घाटी में इंसानियत और कश्मीरीयत का जो बीज बोया गया था, वो अब फलने फूलने लगा है उपरोक्त तथ्यों के देखकर तो यही कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 370 से आजादी मिलने के बाद जम्मू–कश्मीर और लद्दाख विकास की नयी उचॉइयों को छूने का बेताब है।

संदर्भ

1. हटनबैक, रॉबर्ट. (1961). 'गुलाब सिंह एंड द क्रिएशन ऑफ द डोगरा स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर'. *द जर्नल ऑफ एशियन स्टडीज.* वॉल्यूम नंबर 4. अगस्त।
2. हजारिका, संजॉय. (1993). "Afghans joining rebels in Kashmir" न्यू यॉर्क टाइम्स. 24 अगस्त।
3. https://indianexpress.com/photos/india-news/almost-ready-to-open-the-worlds-highest-railway-bridge-over-the-chenab-river-85286578/.
4. https://www.tribuneindia.com/news/j-k/oukhoo-pencil-village-of-india-in-pulwama-writes-its-own-growth-story-3798804.
5. https://www.thehindu.com/news/national/sc-assures-specific-date-will-be-given-for-pleas-challenging-abrogation-of-article-370/article662612813.ece.
6. https://www.mondaq.com/india/constitutional-administrative-law/7852148/all-about-article-370-jammu-kashmir-from-dawn-till-dusk.
7. https://www.thehindu.com/news/national/full-text-of-document-on-govts-rationale-behind-removal-of-special-status-to-jk/article288251368.ece.
8. https://indianexpress.com/article/explained/understanding-articles-370-35a-jammu-kashmir-indian-constitution-561550996/.
9. https://www.theindiaforum.in/article/article-370-federalism-and-basic-struct-constitution/.
10. (2023). दैनिक समाचार पत्र. 'अमर उजाला'. 26 जुलाई।